

सं0सं0-1/विविध-40/2026-499(1)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

विषय:- सीतामढ़ी जिला में अवस्थित राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का नामकरण परिवर्तित करते हुए माँ सीता चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, सीतामढ़ी करने के संबंध में।

राज्य के मेधावी छात्रों के राज्य से बाहर चिकित्सा शिक्षा की पढाई हेतु पलायन रोकने, चिकित्सकों की कमी को कम करने एवं राज्य में रोगियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभागीय राज्यादेश सं0-312(1) दिनांक-07.03.2019 द्वारा राज्य के सीतामढ़ी जिला में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल की स्थापना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।


2- सीतामढ़ी बिहार के मिथिला क्षेत्र में स्थित एक अत्यंत पावन धार्मिक स्थल है, जो मुख्य रूप से माँ सीता की जन्म भूमि के रूप में प्रसिद्ध है। यह रामायण काल से जुड़ा एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जो हिन्दु श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखता है।

3- अतः उपरोक्त आलोक में सीतामढ़ी जिला में अवस्थित राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का नामकरण परिवर्तित करते हुए माँ सीता चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, सीतामढ़ी किया जाता है।

4- प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-06.05.2026 के मद संख्या-11 द्वारा स्वीकृति प्राप्त है।

5- यह आदेश प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से



(दिनेश कुमार झा)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-1/विविध-40/2026-499(1)

/स्वा0, पटना, दिनांक-14/5/2026

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को राजकीय गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षक), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सचिव, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (NMC), पॉकेट-14, सेक्टर-8, द्वारका फेज-1, नई दिल्ली-110077 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

क्रमशः

प्रतिलिपि:- विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-06.05.2026 को मद सं0-11 के रूप में लिये गये निर्णय के अनुपालन के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अध्यक्ष, बिहार शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति, परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/निदेशक, इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना/प्राचार्य/अधीक्षक, सभी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार/सभी सिविल सर्जन, बिहार/प्राचार्य/अधीक्षक, सभी निजी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद्, आई0ए0एस0 एसोसिएशन भवन, हवाई अड्डा के नजदीक, पटना/कुलपति, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, ज्ञान परिसर, मीठापुर, पटना-800001/कुलसचिव, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, ज्ञान परिसर, मीठापुर, पटना-800001/कुलसचिव, अर्णव चरण विश्वविद्यालय, ज्ञान परिसर, मीठापुर, पटना-800001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव (प्रभारी प्रशाखा-1), स्वास्थ्य विभाग के निदेशक/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



सरकार संयुक्त सचिव
ॐ